"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2007—आश्विन 13, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2007

क्रमांक ई-7/14/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10-08-2007 द्वारा श्री नारायण सिंह, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग को दिनांक 13-08-2007 से 07-09-2007 तक (26 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. इसी अनुक्रम में श्री सिंह को दिनांक 08-09-2007 से 31-10-2007 तक (54 दिवस) का और अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

3. अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2007

क्रमांक ई-7/3/2003/1/2.—डॉ. आलोक शुक्ला, भा. प्र. से., मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ. ग. रायपुर को दिनांक 03-09-2007 से 14-09-2007 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 02, 15 एवं 16 सितम्बर, 2007 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. शुक्ला आगामी आदेश तक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ. ग. रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. शुक्ला को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. शुक्ला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. डॉ. शुक्ला के उक्त अवकाश अवधि में श्रीमती निधि छिब्बर, भा. प्र. से., संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ. ग. अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ. ग. का कार्य सम्पादित करेंगी.

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2007

क्रमांक ई-7/10/2005/1/2.—श्री अजयपाल सिंह, भा. प्र. से., आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर को दिनांक 09-08-2007 से 22-08-2007 तक (14 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह आगामी आदेश तक आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2007

क्रमांक ई-7/12/2007/1/2.—श्री एलेक्स व्ही एफ पाल मेनन व्ही, भा. प्र. से., सहायक कलेक्टर, रायपुर को दिनांक 21-06-2007 से 23-06-2007 तक (03 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 24-06-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री एलेक्स को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एलेक्स अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2007

क्रमांक एफ 7-9/2004/1/6.—राज्य शासन इस विभाग के समसख्यंक आदेश दिनांक 7 जनवरी, 2005 द्वारा जारी अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के निधि उपयोग नियम-2004 में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त नियम-2 की उप नियम (घ) को विलोपित किया जाए.

2. नियम-3.1 के उप नियम (3) के स्थान पर निम्नानुसार उप नियम प्रतिस्थापित किये जायें :—

"(3) जिला कलेक्टर उपरोक्त दोनों प्ररुपों को प्राधिकरण के सदस्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत करेगा."

3. नियम-3.1 के उप नियम (4) के स्थान पर निम्नानुसार उप नियम प्रतिस्थापित किये जायें :—

"(4) सदस्य-सचिव प्राधिकरण यदि आवश्यक हो तो उनका परीक्षण संबंधित विभाग से करवाते हुए तथा यदि किसी स्तर पर तकनीकी अथवा प्रशासनिक स्वीकृतिं की आवश्यकता होगी तो, उसे भी प्राप्त करते हुए इसे अध्यक्ष, प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा."

4. नियम-3.1 के उप नियम (5) के स्थान पर निम्नानुसार उप नियम प्रतिस्थापित किये जायें :—

"(5) अध्यक्ष, प्राधिकरण प्रस्ताव पर प्राधिकरण के अन्य सदस्यों से विचार कर अथवा स्वयमेव उसे अनुमोदित कर सकेगा."

5. नियम 3.1 के उप नियम (6) के स्थान पर निम्नानुसार उप नियम प्रतिस्थापित किये जायें :—

"(6) अध्यक्ष के अनुमोदन के उपरांत प्रस्ताव के स्वीकृति की संसूचना सदस्य सचिव प्राधिकरण द्वारा आयुक्त, आदिमजाति कल्याण विभाग को दी जाएगी."

6. नियम 3.2 के उप नियम (3) के स्थान पर निम्नानुसार उप नियम प्रतिस्थापित किये जायें :—

"(3) संबंधित विभाग के सचिव/विभाग प्रमुख उपर्युक्त दोनों प्ररुपों को प्राधिकरण के सदस्य-सचिव के समक्ष प्रस्तुत करेगा."

7. नियम 3.2 के उप नियम (4) के स्थान पर निम्नानुसार उप नियम प्रतिस्थापित किये जायें :—

"(4) अध्यक्ष प्राधिकरण प्रस्ताव पर प्राधिकरण के अन्य सदस्यों से विचार कर अथवा स्वयमेव इसे अनुमोदित कर सकेगा."

8. नियम 3.2 के उप नियम (5) के स्थान पर निम्नानुसार उप नियम प्रतिस्थापित किये जायें :—

"(5) अध्यक्ष के अनुमोदन उपरांत प्रस्ताव के स्वीकृति की संसूचना सदस्य सचिव प्राधिकरण द्वारा आयुक्त, आदिमजाति कल्याण विभाग को दी जाएगी."

9. नियम 5 (1) में अंकित शब्द " प्ररुप-घ " को विलोपित किया जाए.

10. नियम 7 (1) के स्थान पर निम्नानुसार नियम प्रतिस्थापित की जावे :—

"7 (1) समय-समय पर निधि में जमा तथा पुनरावंटन की स्वीकृति के व्यय का लेखा प्राधिकरण के लेखा प्रकोष्ठ द्वारा संधारित किया जायेगा."

11. नियम 9 (1) के स्थान पर निम्नानुसार नियम प्रतिस्थापित की जावे :—

"9 (1) आयुक्त आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा नियम 07 में उल्लेखित लेखा विवरण का समय-समय पर पर्यवेक्षण, परीक्षण एवं निरीक्षण किया अथवा करवाया जायेगा."

12. तथा नियम 9 (2) के पश्चात् निम्नानुसार नियम 9 (3) जोड़ी जावे :—

"9 (3) प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कार्यों का मूल्यांकन/पर्यवेक्षण आंतरिक एवं बाह्य एजेंसी से करवाने का दायित्व जिला कलेक्टर का होगा. जिला स्तर पर पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षण दल का गठन भी किया जाए. मूल्यांकन प्रपत्रों को जिला स्तर पर रखा जाएगा. इन प्रतिवेदनों के आधार पर संबंधित जिलों के कलेक्टर पर्यवेक्षण/मूल्यांकन की त्रैमासिक प्रतिवेदन, आयुक्त आदिमजाति कल्याण विभाग एवं प्राधिकरण प्रकोष्ठ को प्रेषित किया जाएगा."

7. उक्त नियम के संलग्न प्ररुप ख की कण्डिका-4 में उल्लेखित " में दी गई जानकारी एवं संलग्न किये गये तकनीकी प्रतिवेदन " तथा प्ररुप के अंत में संलग्न:-प्ररुप-क के बाद उल्लेखित " एवं इसके साथ लगा तकनीकी प्रतिवेदन " शब्दों को विलोपित किया जाय.

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2007

क्रमांक एफ 7-5/2004/1/6.—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19 जुलाई, 2004 में तथा उसके द्वारा जारी प्राधिकरण विकास निधि उपयोग नियम-2004 में क्रमशः निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त अधिसूचना के नियम-1 के ऊपर प्रथम पैरा में उल्लेखित शब्द " बस्तर विकास प्राधिकरण एवं सरगुजा-जशपुर विकास प्राधिकरण " के स्थान पर शब्द " बस्तर एवं दक्षिण आदिवासी क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण " पढ़ा जाएं, तथा

2. उक्त नियम के नियम 2 (क) में शब्द " बस्तर एवं सरगुजा-जशपुर विकास प्राधिकरण " के स्थान पर शब्द " बस्तर एवं दक्षिण आदिवासी क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण " तथा नियम के संलग्न प्ररुप क, ख, ग एवं घ में अंकित शब्द " बस्तर/सरगुजा-जशपुर विकास प्राधिकरण " के स्थान पर शब्द " बस्तर एवं दक्षिण आदिवासी क्षेत्र विकास प्राधिकरण/सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण " पढ़े जाएं,

3. उक्त नियम के नियम 2 (घ) को विलोपित किया जाए,

4. नियम 3 के उप नियम (3), (4), (5) एवं (6) के स्थान पर निम्नानुसार उप नियम प्रतिस्थापित किया जाये :—

"(3) जिला कलेक्टर उपरोक्त दोनों प्ररुपों को प्राधिकरण के सदस्य-सचिव के समक्ष प्रस्तुत करेगा.

(4) सदस्य-सचिव प्राधिकरण यदि आवश्यक हो तो उनका परीक्षण संबंधित विभाग से करवाते हुए तथा यदि किसी स्तर पर तकनीकी अथवा प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता हो तो, उसे भी प्राप्त करते हुए इसे अध्यक्ष, प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा.

(5) अध्यक्ष, प्राधिकरण प्रस्ताव पर प्राधिकरण के अन्य सदस्यों से विचार कर अथवा स्वयमेव उसे अनुमोदित कर सकेगा.

(6) अध्यक्ष के अनुमोदन के उपरांत प्रस्ताव के स्वीकृति की संसूचना सदस्य-सचिव प्राधिकरण द्वारा आयुक्त, आदिमजाति कल्याण विभाग को दी जाएगी."

5. नियम 5 (1) में अंकित शब्द "प्ररुप घ" को विलोपित किया जाए.

6. नियम-7 (1) एवं 9 (1) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये :—

"7 (1) समय-समय पर निधि में जमा तथा पुनरावंटन की स्वीकृति व्यय लेखा प्राधिकरण के लेखा प्रकोष्ठ द्वारा संधारित किया जायेगा.

9 (1) आयुक्त आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा नियम-6 में उल्लेखित लेखा विवरण का समय-समय पर पर्यवेक्षण, परीक्षण एवं निरीक्षण किया अथवा करवाया जायेगा."

7. तथा नियम 9 (2) के पश्चात् निम्नानुसार नियम 9 (3) जोड़ा जावे :—

"9 (3) प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कार्यों का मूल्यांकन/पर्यवेक्षण आंतरिक एवं बाह्य एजेंसी से करवाने का दायित्व जिला कलेक्टर का होगा. इस हेतु जिला स्तर पर पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षण दल का गठन भी किया जाए. मूल्यांकन प्रपत्रों को जिला स्तर पर रखा जाएगा. इन प्रतिवेदनों के आधार पर संबंधित जिला के कलेक्टर द्वारा पर्यवेक्षण/मूल्यांकन का त्रैमासिक प्रतिवेदन, आयुक्त आदिमजाति कल्याण विभाग एवं प्राधिकरण प्रकोष्ठ को प्रेषित किया जाएगा."

8. उक्त नियम के संलग्न प्ररुप ख की कण्डिका 4 में उल्लेखित " में दी गई जानकारी एवं संलग्न किये गये तकनीकी प्रतिवेदन " तथा प्ररुप के अंत में संलग्नः-प्ररुप-क के बाद उल्लेखित " एवं इसके साथ लगा तकनीकी प्रतिवेदन " शब्दों को विलोपित किया जाय.

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2007

क्रमांक एफ 7-5/2007/1/6.—राज्य शासन इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-9/2004/1-6, दिनांक 07 जनवरी, 2005 द्वारा जारी अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के निधि उपयोग नियम-2004 में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त नियम के संलग्न प्ररुप "क" एवं "ख" की कंण्डिका 2 में उल्लेखित अनुसूचित जाति की जनसंख्या "50 प्रतिशत" के स्थान पर "25 प्रतिशत" पढ़ी जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2007

क्रमांक 8197/डी-2723/21-ब/छ. ग./2007/फास्ट ट्रेक कोर्ट.—राज्य शासन फास्ट ट्रेक कोर्ट दुर्ग के लिये शासन की ओर से पैरवी के लिये इस विभाग के आदेश क्र. 7106/डी-2456/21-ब/छ. ग./07 एवं क्र. 7108/डी-2456/21-ब/छ. ग./07 दिनांक 14-08-2007 द्वारा नियुक्त अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक डा. नागेन्द्र शर्मा के द्वारा उक्त पद से त्यागपत्र दिये जाने के फलस्वरूप दिनांक 30-08-2007 से त्यागपत्र स्वीकृत किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, उप-सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2007

क्रमांक एफ 15-8/2007/9/17.—इस विभाग के समक्रमांकित आदेश दिनांक 05-09-2007 की कंडिका-5 की द्वितीय पंक्ति में उल्लेखित दिनांक 23-11-90 के स्थान पर दिनांक 23-11-2006 पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. पी. दांडे, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2007

क्रमांक-एफ 1-66/07/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की धारा 9 की उपधारा (9) के अंतर्गत श्रमिकों द्वारा देय अभिदाय रुपये 6/- प्रति छमाही तथा नियोजकों द्वारा देय अभिदाय रुपये 18/- प्रति छमाही की दर से लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

उक्त संशोधित अभिदाय दर दिनांक 01-01-2008 से लागू होगा.

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 284/14928/बी-1/चार/2007, दिनांक 30-08-2007 द्वारा दी गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. सरोज, संयुक्त सचिव.

कृषि (मछली पालन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2007

क्रमांक/एफ-4-7/36/योजना/2006/636.—आदेश क्रमांक एफ-11/2/36/2002/985-986 रायपुर दिनांक 24-3-2003 द्वारा प्रचलित मछली पालन नीति में राज्य शासन एतद्द्वारा निम्न संशोधन प्रतिस्थापित करता है.

बिंदु क्रमांक 1.4 :—

200 हेक्टेयर से 1000 हेक्टेयर एवं 5000 हेक्टेयर से अधिक के जलाशय (2 विभागीय जलाशय क्रमशः घोंघा जलाशय, बिलासपुर एवं सरोदा सागर, कबीरधाम को छोड़कर) निर्धारित समयावधि के लिए पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति/समूहों को पट्टे पर दिया जाएगा, तथा 1000 से 5000 हेक्टेयर के जलाशय छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य महासंघ को रायल्टी आधार पर प्रदाय किया जाएगा.

बिंदु क्रमांक 2.5 :—

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस. जी. एस. वाय.) अंतर्गत निर्मित तालाबों को स्व सहायता समूह को ही पट्टे पर दिया जाएगा.

बिंदु क्रमांक 15 :—

प्रमुख सफर मछलियों के आखेट के समान ही मिन्नोज (छुद्रमीन) (सुखान) के आखेट/विक्रय की व्यवस्था रखी जावे.

शेष कंडिकाएं यथावत् रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2007

क्रमांक/1750/786/32/06.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक-807/786/32/2005 दिनांक 4-5-2007 द्वारा कोरबा विकास योजना के ग्राम रामपुर में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

कोरबा विकास योजना में उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना में प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रामपुर	प्रोटेक्टेड फारेस्ट क्र. P-2201	36,68 हेक्टेयर	वृक्षारोपण	औद्योगिक (2×250 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र)

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा कोरबा विकास योजना के ग्राम रामपुर में उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण कोरबा विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

गृह (जेल) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2007

क्रमांक-एफ-1-19/2 (तीन-जेल) 05.—छत्तीसगढ़ जेल नियम, 1968 के नियम 3 के उपनियम (ii) सहपठित छत्तीसगढ़ कारागार अधिनियम, 1894 (क्र. IX सन् 1894) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उप जेल कांकेर को उन्नयन करती है और उसे जिला जेल घोषित करती है.

Raipur, the 17 September 2007

No.-F-1-19/2 (3-jail) 05.— In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 3 of Chhattisgarh Prisons Rules, 1968 read with Section 59 of the Prisons Act, 1894 (IX of 1894), the State Government hereby upgrades Sub Jail, Kanker and declares it as District Jail.

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2007

क्रमांक-एफ-1-19/2 (तीन-जेल) 05.—छत्तीसगढ़ जेल नियम, 1968 के नियम 3 के उपनियम (ii) सहपठित छत्तीसगढ़ कारागार अधिनियम, 1894 (क्र. IX सन् 1894) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उप जेल जांजगीर को उन्नयन करती है और उसे जिला जेल घोषित करती है.

Raipur, the 17 September 2007

No.-F-1-19/2 (3-jail) 05.— In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 3 of Chhattisgarh Prisons Rules, 1968 read with Section 59 of the Prisons Act, 1894 (IX of 1894), the State Government hereby upgrades Sub Jail, Janjgeer and declares it as District Jail.

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2007

क्रमांक-एफ-1-19/2 (तीन-जेल) 05.—छत्तीसगढ़ जेल नियम, 1968 के नियम 3 के उपनियम (ii) सहपठित छत्तीसगढ़ कारागार अधिनियम, 1894 (क्र. IX सन् 1894) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उप जेल महासमुंद को उन्नयन करती है और उसे जिला जेल घोषित करती है.

Raipur, the 17 September 2007

No.-F-1-19/2 (3-jail) 05.— In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 3 of Chhattisgarh Prisons Rules, 1968 read with Section 59 of the Prisons Act, 1894 (IX of 1894), the State Government hereby upgrades Sub Jail, Mahasamund and declares it as District Jail.

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2007

क्रमांक-एफ-1-19/2 (तीन-जेल) 05.—छत्तीसगढ़ जेल नियम, 1968 के नियम 3 के उपनियम (ii) सहपठित छत्तीसगढ़ कारागार अधिनियम, 1894 (क्र. IX सन् 1894) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उप जेल धमतरी को उन्नयन करती है और उसे जिला जेल घोषित करती है.

Raipur, the 17 September 2007

No.-F-1-19/2 (3-jail) 05.— In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 3 of Chhattisgarh Prisons Rules, 1968 read with Section 59 of the Prisons Act, 1894 (IX of 1894), the State Government hereby upgrades Sub Jail, Dhamtari and declares it as District Jail.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शौरी, उप-सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2007

क्रमांक एफ-9-90/दो/गृह/07.—सभी विभाग के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 28 जुलाई, 2007 को प्रश्न पत्र "हिन्दी" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र-रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री नारायण सिंह लावत्रे	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी
2.	श्री सुरेश कुमार ठाकुर	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी
3.	श्री कैलाश सिंह पैकरा	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी
4.	श्री सी. आर. प्रसन्ना	सहायक कलेक्टर
5.	श्री एस. भारति दासन	सहायक कलेक्टर
6.	श्री अलेक्स पाल मेनन	सहायक कलेक्टर
	परीक्षा केन्द्र-जगदलपुर	
7.	श्री रितेश मोटघरे	कृषि विकास अधिकारी
8.	श्री अलोक कुमार पाल	यांत्रिक सहायक

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2007

क्रमांक एफ-9-49/दो/गृह/07.—उत्पाद शुल्क आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जुलाई, 2007 को प्रश्न पत्र "विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र-रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री तपन कुमार सोरी	आबकारी उप निरीक्षक	सश्रेय
2.	श्री उमेश कुमार अग्रवाल	आबकारी उप निरीक्षक	सश्रेय
	परीक्षा केन्द्र-बिलासपुर		
3.	कु. नीतू नोतानी	जिला आबकारी अधिकारी	सश्रेय

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2007

क्रमांक एफ-9-56/दो/गृह/07.—नैसर्गिक संसाधन (खनिज साधन) विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जुलाई, 2007 को प्रश्न पत्र "खनिज प्रबंध" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र-बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री नरोत्तम लाल टंडन	रसायनज्ञ	सश्रेय
	परीक्षा केन्द्र-जगदलपुर		
2.	श्री चन्द्रशेखर भारद्वाज	सहायक भौमिकी विद	उच्चस्तर
3.	श्री हरिश कुमार ध्रुव	सहायक भौमिकी विद	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2007

क्रमांक एफ-9-61/दो/गृह/07.—वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25-7-2007 को प्रश्न पत्र "पुस्तपालन तथा कर निर्धारण" (पुस्तक सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र-रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री अशोक तिवारी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर
2.	श्री संदीप कुमार यदु	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	सश्रेय
3.	श्री अरविन्द पाण्डे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर
4.	श्री सी. खलखो	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर
5.	श्री प्रकाश गुप्ता	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	सश्रेय

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2007

क्रमांक एफ-9-65/दो/गृह/07.—वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जुलाई, 2007 को प्रश्न पत्र "कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र-रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री अशोक तिवारी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	सश्रेय
2.	श्री संदीप कुमार यदु	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	सश्रेय

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	श्री अरविन्द पाण्डे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर
4.	श्री सी. खलखो	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	सश्रेय
5.	श्री प्रकाश गुप्ता	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	सश्रेय

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2007

क्रमांक एफ-9-67/दो/गृह/07.—पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जुलाई, 2007 को प्रश्न पत्र "पुलिस शाखा" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र-रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री अभिषेक पाठक	सहायक पुलिस अधीक्षक
	परीक्षा केन्द्र-बिलासपुर	
2.	कु. ज्योति सिंह	उप पुलिस अधीक्षक
3.	श्री अमरेश कुमार मिश्र	सहायक पुलिस अधीक्षक
4.	सुश्री गायत्री सिंह	उप पुलिस अधीक्षक
5.	श्री नीरज चन्द्राकर	उप पुलिस अधीक्षक
	परीक्षा केन्द्र-जगदलपुर	
6.	श्री राहुल भगत	सहायक पुलिस अधीक्षक
7.	कु. निवेदिता पाल	उप पुलिस अधीक्षक
8.	सुश्री नेहा पाण्डेय	उप पुलिस अधीक्षक
9.	कु. मनीषा ठाकुर	उप पुलिस अधीक्षक
10.	कु. मेघा टेंभुरकर	उप पुलिस अधीक्षक

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2007

क्रमांक एफ-9-75/दो/गृह/07.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 26 जुलाई, 2007 को प्रश्न पत्र "लेखा-प्रथम प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों के) द्वितीय-प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र-रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	कु. गरप्रीत कौर हूरा	सहायक संचालक	उच्चस्तर
2.	कु. शैल ठाकुर	जिला महिला बाल विकास अधिकारी	उच्चस्तर

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	श्री चन्द्रबंश सिसोदिया	जिला महिला बाल विकास अधिकारी	उच्चस्तर
4.	कु. प्रियंका ठाकुर	जिला महिला बाल विकास अधिकारी	उच्चस्तर
5.	श्री रमेश कुमार साहू	जिला महिला बाल विकास अधिकारी	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2007

क्रमांक एफ-9-62/दो/गृह/07.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जुलाई, 2007 को प्रश्न पत्र "वन विधि-प्रथम प्रश्न पत्र" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र-बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्रीमती प्रियंका पाण्डेय	सहायक वन संरक्षक

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2007

क्रमांक एफ-9-74/दो/गृह/07.—आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 26 जुलाई, 2007 को प्रश्न पत्र "लेखा-प्रथम (बिना पुस्तकों के) द्वितीय-प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र-जगदलपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री धनश्याम जांगड़े	क्षेत्र संयोजक	उच्चस्तर से

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2007

क्रमांक एफ-9-48/दो/गृह/07.—पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जुलाई, 2007 को प्रश्न पत्र "पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र-रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री राजकुमार नेताम	उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2007

क्रमांक एफ-9-68/दो/गृह/07.—वन विभाग के वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जुलाई, 2007 को प्रश्न पत्र "सामान्य विधि-प्रश्नपत्र-2" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र-बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्रीमती प्रियंका पाण्डेय	सहायक वन संरक्षक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय पिल्ले, सचिव.

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2007

क्रमांक-एफ 3-18/2007/38.—डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर के प्रथम परिनियम का छ. ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर द्वारा छ. ग. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 26 (5) के तहत अनुमोदन किया गया है. जिसकी अधिसूचना दिनांक 29-09-2007 को जारी की जा रही है. उपरोक्त परिनियम राजपत्र में प्रकाशन के बाद प्रभावशील होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. मिंज, संयुक्त सचिव.

STATUTE NUMBER 01

SHORT TITLE, SCOPE AND COMMENCEMENT

(1) The "**Statutes"** means the **Statutes of Dr. C.V. Raman University**.

(2) These Statutes shall come into force with effect from the date of the notification in the state Gazette.

(3) The Statutes are in conjunction with the provisions of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005 (No.13 of 2005) and the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Rules,2005. If there be any difference in the provisions of the Act or the Rules and the Statutes, the provisions of the Act or the Rules will prevail.

(4) Nothing in these Statutes shall be deemed to debar the University from amending the Statutes subsequently according to the provision of Section 27 of the Act, and the amended Statutes, if any shall be applicable with immediate or retrospective or prospective effect, from such a date as prescribed in the notification.

STATUTE NUMBER 02

DEFINITIONS

In these Statutes unless the context otherwise requires;

(1) "Act" means the "Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005"

(2) All words and expressions used herein and defined in the Act and the Rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and the Rules.

(3) "Academic Year" means a period of nearly twelve months, devoted to completion of requirements specified in the scheme and curriculum of the concerned course(s) and apportioned into "terms" as stipulated in the Ordinances.

(4) "Board of Studies" Means the Board of Studies of the University departments/ faculties.

(5) "Convocation" means the convocation of the University;

(6) "Course(s)" means prescribed area(s) or course(s) of study or programme(s) and / or any other component(s) leading to the conferment or award of degree, diploma, certificate or any other academic distinction or title of the University.

(7) "Decided by the University / University may decide / Decision of the University" means as decided by the Vice-Chancellor with the approval of the Chancellor.

(8) "Employee" means any person working on the payroll of the University.

(9) "Executive Committee" means Executive Committee of the Sponsoring Body.

(10) "Faculty" means Faculty of the University listed in Statute No 15.

(11) "Regular Education" means and includes delivering instruction, teaching, learning, education, and related activities directly by the teacher synchronously to students in the classes or otherwise at the campus of the University.

(12) "Regulation " means regulations of the University.

(13) "Rules" means the "Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Rules, 2005".

(14) "Scheme and Curriculum" means and includes nature, duration, pedagogy, syllabus, eligibility and such other related details (by whatever name it may be called) for the concerned course(s) of the University.

(15) "Seal" means the common seal of the University.

(16) "Subject" means the basic unit(s) of instruction, teaching, training, research etc., by whatever name it may be called, as prescribed under the scheme and curriculum.

(17) The terms "he", "him" and "his" include the feminine gender also.

STATUTE NUMBER 03

SEAL OF THE UNIVERSITY

(1) The University shall have a common seal to be used for the purposes of the University and the design of the seal shall be as decided by the University, subject to further change or amendment as deemed necessary from time to time. The University may also decide to make and use such Flag, Anthem, Insignia, Vehicle Flag and other symbolic or graphic expressions, abbreviations or likewise, for such purposes as deemed necessary from time to time, and which are not of such nature that are not permitted by the State or the Central Government.

STATUTE NUMBER 04

OBJECTS OF THE UNIVERSITY

Apart from the objects of the University described in Section 3 ot the Act, the University shall also have the following objects;

(1) To collaborate with other Universities, Research Institutions, Government and Non-Government Organisations towards fulfillment of the University objectives.

(2) To pursue any other objective as may be approved by the State Government based on the recommendations of the Regulatory Commission, from time to time.

STATUTE NUMBER 05

APPOINTMENT, TERMS AND CONDITIONS AND POWERS OF THE CHANCELLOR

(1) In accordance with the Act, the Chancellor shall be appointed by the sponsoring body for a period of three years with the prior approval of the Visitor. The Executive Committee of the sponsoring body shall, by simple majority, finalise the name of the Chancellor. The Secretary/President of the Sponsoring Body shall send the name, alongwith biodata of the proposed Chancellor, to the Visitor for approval. After Visitor's approval, the Chancellor shall be appointed by the Sponsoring Body.

(2) The Chancellor shall exercise powers as specified in Section16 of the Act.

(3) The Chancellor shall hold office for a period of three years and shall be eligible for reappointment with the approval of the Visitor following the procedure laid down above under clause (1) of this Statute. Provided that the Chancellor shall, not withstanding the expiring his term, continue to hold his office untill either he is reappointed of his successor enters upon his office.

(4) In case of an emergency like illness, absence or death of the Chancellor, the Vice-Chancellor shall perform his duties till the Chancellor reassumes his office or the new Chancellor is appointed. However this period will not exceed six months.

(5) It shall be the duty of the Chancellor to ensure that the Act, the Rules, the Statutes, the Ordinances and the Regulations are faithfully observed.

(6) The Chancellor shall exercise general control over the affairs of the University.

(7) The Chancellor shall be entitled to receive honorarium, expenses and allowances as may be decided by the Sponsoring Body.

(8) In a special meeting called for the purpose, the Executive Committee of the Sponsoring Body may consider a "No Confidence Motion" against the Chancellor and, if passed by two third majority, can recommand to the Visitor for the removal of the Chancellor.

(9) The Chancellor may by writing under his hand addressed to the Visitor, resign his office.

STATUTE NUMBER 06

APPOINTMENT, TERMS AND CONDITIONS AND POWERS OF THE VICE- CHANCELLOR

(1) The Vice-chancellor shall be appointed by the Visitor as laid down in Section17 of the Act.

(2) The Vice-chancellor shall hold office for a term of four years according to the provisions of clause (4) of Section 17 of the Act.

Provided that, on the expiry of term, the Vice-Chancellor shall be eligible for reappointment for another term.

Provided further that, in case of an emergency like illness, long absence, resignation or death of a Vice-Chancellor, the Chancellor shall assign the duties of the Vice-Chancellor to a senior Professor of the University. However this period of interim arrangement shall not exceed more than six months.

(3) In addition to all such powers as described in Section 17 of the Act, the Vice-Chancellor shall also exrecise powers prescribed in the different Statutes.

(4) The Vice-Chancellor shall receive pay and other allowances as decided by the sponsoring body from time to time.

(5) The Vice-Chancellor shall cause the budget to be made by the Board of Management of the University. He may also decide to delegate his powers to other officers of the University.

(6) The Vice-Chancellor may by writing under his hand addressed to the Chancellor, resign his office. The Chancellor will farward his resignation to the visitors office with new proposal.

STATUTE NUMBER 07

APPOINTMENT, TERMS AND CONDITIONS AND POWERS OF THE REGISTRAR

(1) The Registrar will be a key officer of the University. All contracts shall be signed and all documents and records shall be authenticated by the Registrar on behalf of the University.

(2) The Registrar shall be a full time salaried officer of the University and shall discharge his duties under general superintendence and control of the Vice- Chancellor.

(3) The appointment of the Registrar shall be made by the Governing Body on the recommendation of the selection committee constituted for the purpose. However, the first Registrar shall be appointed by the Sponsoring Body for a period of two years. The subsequent Registrars, other than the first Registrar, shall be appointed by the Governing Body on the recommendation of the Selection Committee constituted for the purpose. The Selection Committee shall consist of :

(a) Vice-Chancellor - (Chairman)

(b) Nominee of the Chancellor

(c) Nominee of the Regulatory Commission

(d) Two expert members approved by the Governing Body

(4) Selection of Registrar:

The University will follow the following procedure for the selection of the Registrar:

(a) The University would invite applications for the post through the process of an advertisement in important News papers of wider circulation.

(b) A summary of the candidate applied for the post shall be prepared by the Committee consisting of three Professors of the University approved by the Governing Body for the purpose.

(c) The date of meeting of the Selection Committee will be fixed and a notice of this effect shall be given to the members of the Selection Committee atleast 15 days in advance.

(d) The Selection Committee shall interview and adjudge the merit of each candidate and send its final recommendation to the Governing Body.

(e) If a suitable candidate is not found in the first advertisement, subsequent advertisements shall be issued.

(5) When the Office of the Registrar falls vacant or when the Registrar is, by reason of illness or long absence due to any other reason, unable to perform his duties of the offfice, the duties of the office shall be performed by such person as the Chancellor may appoint for the purpose.

(6) The Registrar shall receive pay and other allowances as decided by the Governing Body from time to time.

(7) The age of retirement of Registrar shall be sixty five years.

(8) Duties and Powers of the Registrar shall be :

(a) To maintain the records, the common property and any such other property of the University as the Governing Body may decide.

(b) To conduct the official correspondences of the Governing Body, Board of Management, Academic Council and any other Body or Committee of which he may be the Secretary.

(c) To issue notices conveying the dates of meeting of the university authorities to the members and to make necessary arrangements for the conduction of the meeting, and for other assigned duties by the Board of Management from time to time, he will render desired assistance.

(d) To provide the copies of the Agenda of the meeting of the Governing Body, Academic Council, Board of Management, and such other Bodies which are formed under the direction of the Chancellor/ Vice-Chancellor, and to record the minutes and send the same to the Vice-Chancellor and Chancellor. He shall also make available all such papers, documents and informations as the Visitor/Chancellor/Vice-Chancellor may desire.

(e) To discharge all such functions as assigned to him by the Chancellor/ Vice-Chancellor of the University.

(f) To supervise and control the work of the staff working in different offices/ units of the University, and writing their confidential report.

(g) To take disciplinary action, whenever needed, against the non-teaching employees of the University as prescribed in the Regulations.

STATUTE NUMBER 08

APPOINTMENT, TERMS AND CONDITIONS AND POWERS OF THE CHIEF FINANCE & ACCOUNTS OFFICER (CFAO)

(1) The Chief Finance and Accounts Officer(CFAO) shall be a key officer of the University responsible for handling accounts and finances of the University.

(2) The CFAO will be a full time salaried officer of the University and shall discharge his duties under general superintendence and control of the Vice Chancellor.

(3) The appointment of the CFAO shall be made by the Chancellor on the recommendation of the selection committee constituted for the purpose. However, the first CFAO shall be appointed by the Chancellor for a period of two years. The subsequent CFAO, other than the first CFAO, shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of the Selection Committee constituted for the purpose. The Selection Committee shall consist of :

(a) Vice- Chancellor - (Chairman)

(b) Nominee of the Chancellor

(c) Nominee of the Regulatory Commission

(d) Two expert members approved by the Governing Body

(4) **Selection of CFAO** :

The University will follow the following procedure for the selection of the CFAO:

(a) The University would invite applications for the post through the process of an advertisement in important News papers of wider circulation.

(b) A summary of the candidate applied for the post shall be prepared by the Committee consisting of three Professors of the University approved by the Governing Body for the purpose.

(c) The date of meeting of the Selection Committee will be fixed and a notice of this effect shall be given to the members of the Selection Committee atleast 15 days in advance.

(d) The Selection Committee shall interview and adjudge the merit of each candidate and send its final recommendation to the Governing Body for its approval.

(e) If a suitable candidate is not found in the first advertisement, subsequent advertisements shall be issued.

(5) When the Office of the CFAO falls vacant or when the CFAO is, by reason of illness or long absence due to any other reason ,unable to perform his duties of the offfice, the duties of the office shall be performed by such person as the Chancellor may appoint for the purpose.

(6) If at any time upon representation made or otherwise, and after making such inquiry as may be deemed necessary, the situation so warrants that the continuance of the CFAO is not in the interest of the University, the Vice-chancellor may request the Chancellor, in writing stating the reasons therein, for the removal of the CFAO. The Chancellor shall put up the matter for consideration of the Governing Body whose decision shall be final.

Provided that before taking such action of the removal, the CFAO shall be given an opportunity of being heard.

(7) The CFAO shall receive pay and other allowances as decided by the Governing Body from time to time.

(8) The age of retirement of CFAO shall be sixty five years.

(9) Duties of the CFAO shall be :

(a) To manage the Accounts and Funds of the University for maintaining the records properly, and for regularly getting them audited.

(b) To supervise, control and regulate the working of Accounts and Finance of the University.

(c) To maintain the financial records and any such other finance related records of the University as the Governing Body may decide.

(d) To discharge all such functions as assigned by the Chancellor/Vice-Chancellor of the University.

STATUTE NUMBER 09

GOVERNING BODY

(1) Formation and functioning of the Governing Body shall be as laid down under section 22 of the Act.

(2) The term of the nominated members of the Governing Body will be of three years.

(3) Apart from the powers vested in the Governing Body according to the provisions under Section 22 of the Act, the Governing Body of the University shall have the following powers and duties :

(i) To make, review and approve, from time to time, the broad policies, plans and procedures and suggest measures for the improvement and development of the University.

(ii) To make recommendations on any matter referred to it by the Chancellor.

(iii) To make recommendation to the Executive Committee of the Sponsoring Body for the creation of new posts of officers of the University

(iv) Such other powers and duties as may be prescribed by the "Executive Committee" of the Sponsoring Body.

STATUTE NUMBER 10

BOARD OF MANAGEMENT

(1) Formation and Functioning of the Board of Management shall be as laid down under Section 23 of the Act.

(2) The term of the nominated members of the Board of Management will be of three years.

No member shall be nominated for more than two consecutive terms.

(3) Powers and Functions of the Board of Management shall be :

(i) To prepare financial accounts together with audit report and Annual Report of the University and to place it before the Governing Body for its approval.

(ii) To prepare the Annual / Supplimentary Budget of the University and to place it before the Governing Body for its consideration and approval.

(iii) To follow the Budget for Expenditure as approved by the Governing body.

(iv) To perform any other functions which may be assigned by the Governing Body/ Chairman of the Board of Management / Statutes of the University.

(v) To recommend to Governing Body for creating the post of other officers of the university.

(vi) To get the approval of the Governing Body before the implementation of such decisions of the Board of Management which may be having bearing on the finances of the university.

STATUTE NUMBER 11

FORMATION, POWERS, DUTIES AND ACTIONS OF THE ACADEMIC COUNCIL

The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall coordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

(1) The Academic Council shall consist of the following members :

(i) Vice-Chancellor.(Chairman)

(ii) All the Heads of the Departments.

(iii) All the Professors of the University Teaching Departments.

(iv) Two Professors from State/Central Govt. Universities nominated by the Chancellor.

(v) Two representatives from amongst the Scientist/ Educationalist/ Technologist/ Industries nominated by the Chancellor.

(2) The term of the nominated members of the Academic Council will be of three years.

(3) The Vice-Chancellor, as the Chairman, shall preside over the meetings of the Academic Council and in his absence any other person nominated by the Chancellor shall preside over the meeting.

(4) The Registrar shall be the Member-Secretary of the Academic Council and in the absence of the Registrar, any other person authorized by the Vice Chancellor shall act as the Secretary.

(5) One half of the members the Academic Council including the Chairperson shall form the quorum at a meeting.

Provided that no quorum shall be necessary for adjourned meeting.

Ordinarily twenty one days notice shall be given for all meetings of the Academic Council and agenda papers shall be issued atleast ten days before the date of the meeting.

(6) Subjected to the provisions of the Act, the Academic Council shall have the following powers, duties and functions; namely,

(a) To co-opt as members, persons having special knowledge or experience in the subject matter of any particular business which may come before the Council for consideration. The members so co-opted shall have all the rights of the members of the council in regard to the transaction of the business in relation to which they may be co-opted.

(b) To promote research and, related activities in the University.

(c) To make recommendations to the Governing Body on the proposals received from the different Faculties of the University for the conferement of degrees, honorary degrees or any such other distinction or honor of the University.

(d) To exercise general supervision over the academic policies of the University and to give directions regarding methods of instruction, teaching and evaluation of research or improvements in academic standards.

(e) To consider matters of general academic interest either on its own initiative or on a reference made by a faculty or the Board of Management or the Governing Body, and to take appropriate action thereon.

(f) To make proposals to the Governing Body for allocating departments to the faculties.

(g) To make proposal to the Governing Body for the institution of fellowship, scholarships, studentship, exhibition medals and prizes and to make rules for their award.

(h) To recognize persons of eminence in their subject to be associated as research guide in that subject, as prescribed in the ordinance.

(i) To formulate, modify or revise schemes for the organisation and assignment of subjects to the Faculties, and to report to Governing Body as to the expediency of abolition,reconstitution or division of any Faculty of the university.

(j) To recognise diplomas and degree of other Universities and institutions and to determine their equivalence.

(k) To make special arrangements,if any ,for the teaching of women students and for prescribing for them special courses of study.

(l) To consider academics related proposals submitted by the Faculties/ Departments of the University.

(m) To approve the syllabus of different courses/subject submitted by the Faculties/ Departments and to arrange for the conduct of examinations according to the Ordinances made for the purpose.

(n) To award stipends, scholarship,medals and prizes, and to make awards in accordance with the Ordinances and such other conditions as may be attached to the award.

(o) To publish syllabi of various courses of study and lists of prescribed or recommendated text books for different subjects.

(p) To appoint committee for admission of students in different Faculties of the University.

(q) To recommend to the Governing Body the rates of remuneration and allowances for the Examination work.

(r) To delegate such of its powers to the Chairman, as it may deem fit.

(s) To report or to make recommendations on any matter referred to it by the Chancellor or the Governing Body, as the case may be.

(t) To exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed from time to time.

STATUTE NUMBER 12

FINANCE COMMITTEE

(1) The Finance Committee shall consist of the following persons, namely :-

(i)	The Chancellor or his nominee	:	Chairman
(ii)	The Vice-Chancellor	:	Member
(iii)	The Registrar	:	Member
(iv)	Two members of the Governing Body to be nominated by the Governing Body	:	Member
(v)	One person to be nominated by the Sponsoring Body	:	Member
(vi)	Chief Finance and Accounts Officer	:	Member Secretary

(2) The tenure of the members of the Finance Committee, other then ex-officio members, shall be of three years.

(3) The Finance Committee shall meet atleast twice in each academic year. A notice for the meeting of the Finance Committee shall be given so as to reach the Committee members atleast fifteen days in advance of the meeting.

(4) Four members of the Finance Committee, including Chairman, shall constitute the quorum at the meetings.

(5) Functions and powers of the Finance Committee shall be as follows:

(i) The Finance Committee shall consider the annual estimates of income and expenditure of the University prepared by the Board of Management and shall put up to the Governing Body for its consideration and approval.

(ii) The Finance Committee shall consider the annual accounts of the University prepared by the Board of Management and its recommendation thereon along with the annul budget, and shall put it up to the Governing Body for its consideration and approval.

(iii) The Finance Committee may make its recommendations to the Governing Body to accept bequests, and donations of property to the University on such terms as it deems proper.

(iv) The Finance Committee may recommend mechanisms and ways and means to generate resources for the University.

(v) The Finance Committee may consider any other matter referred to it by the Governing Body and make its recommendations thereon.

(vi) The Finance Committee shall advise the University on any question affecting its finances.

(vii) The Finance Committee shall be responsible for the observance of Regulations relating to the maintenance of accounts of the income and expenditure of the University.

STATUTE NUMBER 13

OTHER OFFICERS OF THE UNIVERSITY

The following shall be the other Officers of the University :

(1) Controller of Examination:

(a) Controller of Examination will be an officer of the university and shall be appointed by the Vice Chancellor from amongst the Teachers of the University.

(b) When the office of the Controller of Examination is vacant or when the Controller of Examination is, by reason of illness or absence for any other cause , unable to perform the duties of the offfice, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice Chancellor may appoint for the purpose.

(c) The Controller of Examination shall control the conduct of Examinations and all other arrangements necessary therefor and execution of all processes connected therewith.

(2) Librarian :

The Librarian shall be a full time salaried officer of the University, and his appointment will be made following the procedure as laid down through the clause (3) to (9) of Statute No.(18) for the teachers.

The powers and responsibilities of the Controller of the Exanmination and Librarian shall be as specified in the Regulations.

STATUTE NUMBER 14

FACULTIES

(1) The University shall include the following faculties :

(i) Faculty of Commerce(including Commercial/Business Management)

(ii) Faculty of Education (including Physical Education)

(iii) Faculty of Engineering & Technology

(iv) Faculty of Science (including Home Science,Allied science)

(v) Faculty of Information Technology

Such other faculties as may be approved by the state goverment shall be added from time to time.

(2) Each Faculty shall have such Departments as may be assigned to it by the Academic Council.

STATUTE NUMBER 15

CONSTITUTION OF FACULTIES

Each Faculty shall consist of following members, namely:

(a) The Dean of the Faculty who shall be the Chairman;

(b) The Heads of Departments of Studies in the Faculty;

(c) All Professors in the Faculty;

(c) One Reader and one Lecturer, by rotation according to seniority, from each Department in the Faculty;

STATUTE NUMBER 16

DEANS OF FACULTIES

There shall be a Dean for each Faculty; a Professor within the faculty shall, by rotation according to seniority, act as the Dean of the Faculty for a period of three years,

Provided that :-

(1) If there is no Professor, a Reader, by rotation according to seniority, shall act as Dean.

(2) The Dean shall be the Chairman of the Faculty and shall the responsible for the observance of the Statutes, the Ordinances and the Regulations relating to the Faculty.

(3) The Dean shall be responsible for overall supervision and control of the organisation and the conduct of teaching and research work in the Departments.

(4) The dean shall exercise such other powers and perform such other functions and duties as may be assigned to him by the Governing Body or the Vice-Chancellor.

(5) Professor or Reader shall have the option to resign the Deanship at any time during his tenure and also decline the offer of appointment in his turn as Dean of the Faculty.

STATUTE NUMBER 17

POWERS OF THE FACULTIES

(i) The Faculty shall have such powers and shall perform such duties as may be assigned to them by these Statutes and the Ordinances and shall, from time to time, appoint such and so many Boards of Studies in different branches of knowledge as may be prescribed by the Ordinances.

(ii) The Faculties shall also consider and make such recommendations to the Academic Council on any question pertaining to their respective spheres of work as may appear to them necessary or on any matter referred to them by the Academic Council.

STATUTE NUMBER 18

APPOINTMENT OF TEACHERS OF THE UNIVERSITY

(1) For the teaching positions in the University, namely the professors, Readers and Lecturers, the Board of Management may recommend to the Governing Body for filing up the vacancies available in different departments of the University.

(2) The Governing Body shall assess the recommendations of the Board of Management and approve filing up of teaching vacancies through an open advertisement and selection process from time to time.

(3) Teaching positions (Professors, Readers and Lecturers) shall be advertised in the National Daily News Papers of wide circulation, clearly mentioning the essential qualifications and pay scale for each advertised post as per norms prescribed by the University Grants Commission (UGC) or any other concerned Regulatory Body.

(4) A Screening Committee consisting of three members, appointed by the Vice-Chancellor shall screen all the applications and prepare a summary of all the candidates satisfying the essential qualifications and to be called for the interview. Also a list of candidates rejected and not to be called for the interview shall be made separately giving reasons for the rejection.

(5) Summary of all the screened applications shall be made available to the Selection Committee at the time of interview.

(6) The Selection Committee shall consist of the following members;

(i) The Vice-Chancellor : Chairman

(ii) One observer, not connected with the University in any manner, to be nominated by the Chairman of the Regulatory Commission.

(iii) Three subject experts nominated by the Vice-Chancellor from a panel of experts approved by the Regulatory Commission.
If the approval of the panel of experts, submitted by the University, is not received from the Regulatory Commissions within fifteen days from the date of submission of the panel by the University, the Vice- Chancellor will nominate three subject experts from the submitted panel list.

(7) The Selection Committee shall recommend to the Governing Body the names, arranged in order of merit, if any, of the persons whom it considers suitable for the posts.

Provided that no recommendation shall be made unless at least two subject experts and the Observer under clause (6) mentioned above, are present in the Selection Committee meeting.

(8) After the approval of appointments, as recommended by the Selection Committee, by the Governing Body, appointment letters will be issued by the Registrar.

(9) In addition to full-time teachers, the Board of Management / Chancellor may also decide to engage for a fixed period, part-time, contractual and / or assignment based positions, either through direct recruitment or out-sourcing. The terms and conditions (such as honorarium, TA/DA, conveyance charges etc) of such engagements will be decided by the Governing Body of the University, from time to time.

STATUTE NUMBER 19

STANDING COMMITTEE

(1) Standing Committee of the university shall be constituted as under :

(i) Vice-Chancellor (Chairperson)

(ii) Registrar

(iii) CFAO

(iv) Deans of all the faculties of the university

(v) Three senior Heads of Departments of the University by rotation (their term being of three years).

The Vice Chancellor can invite additional members to the standing committee as and when required.

(2) The Registrar shall act as Secretary of the Standing Committee.

(3) Meeting of the Standing Committee shall be convened as and when required under the directions of the Vice-Chancellor.

One-half of the members of the Standing Committee shall constitute the quorum.

(4) Notice for the meeting of the Standing Committee along with the agenda will be served to the member atleast 3 days in advance of the meeting. However, an emergency meeting of the Standing Committee can be called by the Vice-Chancellor, as and when required, with one hour notice.

STATUTES NUMBER 20

BOARD AND COMMITTEES

The Governing Body, The board of Management, The Academic Council of any Faculty may appoint boards or committees consisting of members of the authority making such appointment and such other persons (if any as that authority in each case may think fit) and any such board or committee may deal with any subject assigned ti it subject to subsequent confirmation by the authority wich appointed it.

STATUTE NUMBER 21

DELEGATION OF POWERS

(1) The Governing Body, the Board of Management and the Academic Council can delegate any power vested in them by a resolution passd ien a meeting.

(2) All Authorities other than in (1) above can delegate any power vested in them with the approval of Governing Body.

(3) The Chancellor and the Vice-Chancellor can delegate the powers vested in them, except approval of appointments of employees (Teaching & Non-teaching) and terminations of their services; such delegation, shall be reported to the Governing Body.

(4) Officers, other than Chancellor and Vice-Chancellor can delegate the powers vested in them with the approval of the Vice-Chancellor.

STATUTE NUMBER 22

BOARD OF EXAMINATION

(1) The Board of Examination of each department shall consist of the following members :

- (i) Head of the Department - Chairman.
- (ii) Two senior most teachers of the Department (other than the head of the department).

The quorum of the Board will be two members.

(2) Board of Examination of the department shall recommend to the Controller of Examination the names of examination paper setters, moderators and examiners of different subjects. The Controller of the Examination shall get it approved by the Vice-Chancellor who will have the right to add or delete names in the proposed list.

STATUTE NUMBER 23

BOARD OF STUDIES

(1) There shall be a Board of Studies for each department comprising of:

(i) All the teachers of the concerned department.

(ii) Two members to be nominated and co-opted by the department, from outside the University, from academia /Industries.

(2) The Head of the Department shall be the Chairman of the Board of Studies.

(3) The term of the Co-opted members of the Board of Studies shall be three years.

(4) The Vice Chancellor can constitute a Board of Studies for the subjects to be started by the university as and when required.

(5) Detailed syllabus of the different courses of the department shall be prepared by the Board of Studies and be submitted to the Academic Council for its approval and publication.

(6) Contents of the syllabus shall be revised and updated by the Board of Studies from time to time, and be submitted to the Academic Council for its approval.

(7) Board of Studies meeting shall be arranged atleast Once in a year.

STATUTE NUMBER 24

PROVISION REGARDING FEE TO BE CHARGED FROM THE STUDENTS

(1) All the Courses in the University will be run on self finance mode. The following types of fees may be charged from the students :

(i) Prospectus / Registration form

(ii) Admission fees (where applicable)

(iii) Tuition fees for the course

(iv) Examination fees

(v) Library fees

(vi) Development / amalgamated fund

(vii) Laboratory fees

(viii) Caution money

The University can introduce other heads of fees from time to time.

(2) In addition, fees for duplicate marksheets, revaluation, issuance of degree and such others examinations or result related fee may be charged from the students, as prescribed by the ordinance.

(3) The components of fee may vary from course to course and shall be decided by the Board of Management for each course.

(4) The fees for the courses which need approval of the regulatory bodies like AICTE/ NCTE/MCI etc; shall be in conformity with those proposed by the concerned Regulatory Bodies.

(5) The fee structure of various courses and provision of exemption from tuition fee will be decided by the Board of Management from time to time and will be made available to the students along with the propspectus for the concerning session.

(6) The tuition fees for the various courses will be defined in their respective Ordinances.

STATUTE NUMBER 25

CONVOCATION

(1) A Convocation for the award of the Degrees, Diplomas and other Distinction of the University shall normally be held annually in the Main Campus of the University or at such other places as approved by the Governing Body.

(2) The Academic Council shall frame Regulations relating to the format of the Degree and Diploma, Documents, Certificates and Citations, their text, issuance of these documents in absentia, duplicate degree and procedure for holding Convocation.

STATUTE NUMBER 26

CONFERMENT OF HONORARY DEGREES AND ACADEMIC DISTINCTIONS

(1) (a) Proposal for conferring an Honorary Degree or Academic Distinction to some distinguished personality shall be made in writing, alongwith the Bio-data of the proposed recipient, by a Faculty to the Chairman of the Academic Council.

(b) On receipt of the proposal, a special meeting of the Academic Council will be called to consider the proposal.

(c) At such special meeting of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall call upon the members to indicate their opinion on the proposal. If the proposal is passed by the Academic Council, it will be placed to the Governing Body for the approval.

(d) Every proposal for conferment of an Honorary Degree or Academic Distinction shall be made separately and considered in respect of a proposed recipient.

STATUTE NUMBER 27

STUDENTS COUNCIL

(1) The students' council will mainly function as a forum for getting feedback on the students issues and their welfare.

(2) The Vice-Chancellor shall appoint on the Students Council one student from each Department/Faculty who should be a full time student in the university and had secured the first position in order of merit in the preceding Examination.

(3) The Vice Chancellor can also decide to involve other categories of students in the Student's Council depending upon the need of students participation for the benefit of the University. SC/ST and girls students will be given adequate representation in the Students Council.

STATUTE NUMBER 28

CATAGORIES OF THE NON-TEACHING EMPLOYEES

(1) The following types of non-teaching employees will be employed by the University

(i) Premanent/ Probationary employee

(ii) Contractual employee

(iii) Casual employee

(2) Permanent employee means an employee who is appointed against a clear vacancy. The probationary period for such employees will be of two years.

(3) Contractual employee means an employee who is appointed on contract for a specified period.

(4) Casual employee means an employee who is engaged on the basis of a Muster Roll.

(5) The terms of service conditions of all the above three categories of employees and arbitration procedures shall be as prescribed by the Regulations.

STATUTE NUMBER 29

ADMINISTRATION OF ENDOWMENTS FOR THE AWARD OF FELLOWSHIPS, SCHOLARSHIPS, MEDALS AND PRIZES IN THE UNIVERSITY

(1) The Board of Management may accept donations for creation of endowment fund for the award of Fellowship, Scholarship, Stipend, Medals and Prizes of the recurring nature.

(2) The Board of Management shall administer of all the endowments.

(3) The award shall be made out of the Annual Income accruing from the endowment. Any part of the income which is not so utilised shall be added to the endowment.

(4) (a) The Board of Management shall prescribe the conditions of depositing the endowment in a nationalised Bank.

(b) The value of endowment necessary for instituting an award shall be prescribed by the Board of Management.

(5) No endowment shall be accepted in contravention of the award, and effect shall be given to the wishes of the donor as far as possible.

(6) In case any endowment is accepted by the Board of Management, the Board shall make a Regulation for it, giving such details as the name of the donor, name of endowment, initial value and the purpose of the endowment, etc.

(7) Approval of awardees of fellowships, scholarships, medals and prizes as per the specific regulation(s)/ ordinance(s) belonging to the specific endowment will be given by the Board of Management.

STATUTE NUMBER 30

ADMISSION OF STUDENTS

(1) Admission to various courses shall be governed as prescribed in the ordinancesframed for the concerned subjects.

(2) The University may conduct its own entrance test, if necessary, or may utilize the list of results of such examination/ test conducted b y different State/ National Professional Bodies.

STAUTE NUMBER 31

NUMBER OF SEATS IN DIFFERENT COURSES/ SUBJECTS

(1) The number of seats in different courses/ subjects shall be as per norms specified by the Regulatory Bodies such as UGC/ AICTE/ NCETE/ MCI/ BCI etc.

(2) The University will inform the Regulatory Commission about the number of seats allocated in each course/ subject.

(3) The Regulatory Commission may cause inspection to ensure that there is adequate infrastructure, modern technologies, Online facility, Internet mode of teaching, standard of teaching etc; available in the University for running the courses according to the number of seats allocated. In case some deficiency is found during the inspection, the Regulatory Commission will inform the University to make up for the dificiencies within some specified period and to submit a compliance report with regard to suggestions/ observations made by the Inspection team.

STATUTE NUMBER 32

ANNUAL REPORT

(1) The Annual Report of the University shall be prepared by the Board of Management.

(2) The Report shall be placed for approval to the Governing Body.

(3) A copy of the Annual Report shall be presented to the Visitor and to the Regulatory Commission.

STATUTE NUMBER 33

"OFF-CAMPUS CENTRE(S)" AND "STUDY CENTRE(S)"

(1) The defination of "Off-Campus centre(s)" and "Study Centre(s)" would be as given in the Act.

(2) For creation of "Off-Campus centre(s)" and "Study Centre(s)", University shall follow the guidelines given in the "UGC(Establishment of and Maintenace of Standards in Private Universities) Regulations, 2003".

(3) The guidelines for monitoring and control of "Off-Campus centre(s)" and 'Study Centre(s)" will be worked out by the Board of Management of the University, and shall be detailed in the Ordinances made for the purpose.

(4) Any amendment made from time to time in the UGC Regulation for the Private Universities shall be applicable.

STATUTE NUMBER 34

ACTION AGAINST TEACHERS

(1) Where there is an allegation of misconduct against a teacher, the Vice- Chancellor shall constitute a Fact Finding Committee and, if necessary, based on the finding of the Committee, may institute an Inquiring Committee for the purpose.

(2) Based on the Fact Finding Committee/ Inquiry Committee report, the Vice-Chancellor may decide the course of action depending on the severity of the misconduct. However for taking actions to the extent of suspension or termination of services of the teacher concerned, the Vice-Chancellor shall report the matter to the Governing Body whose decision shall be final.

(3) An appeal against any action taken by the Vice-Chancellor can be made to the Chancellor within 30 days from the date of receiving the communication of the action taken.

STATUTE NUMBER 35

ACTION AGAINST NON-TEACHING EMPLOYEE

(1) Where there is an allegation of misconduct against a non-teaching employee, the Registrar shall constitute a Fact Finding Committee and if necessary, based on the findings of the Committee, may institute an Inquiring Committee for the purpose.

(2) Based on the Fact Finding/ Inquiry Committee report, the Registrar may decide course of action depending on the severity of the misconduct. However for taking actions to the extent of suspension or termination of the services of the non-teaching employee concerned, the Registrar shall report the matter to the Vice-Chancellor whose decision shall be final.

(3) An appeal against any action taken by the Registrar can be made to the Vice-Chancellor within 30 days from the date of receiving the communication of the action taken.

STATUTE NUMBER 36

RESIGNATION

Any resignation rendered by any employee shall be processed as per the Regulations prescribed for the purpose.

STATUTE NUMBER 37

RESIDUAL PROVISION

In case of any dispute/ difference of interpretation of provisions made in the Statutes, the decision of the Visitor shall be final.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 19 सितम्बर 2007

क्रमांक 849/ले. पा./भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	चेचानमेटा प. ह. नं. 35	11.58	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	ओडिया जलाशय के अंतर्गत भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 19 सितम्बर 2007

क्रमांक 853/ले. पा./भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	मंगलोर प. ह. नं. 9	0.23	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	खम्हरिया एनीकट योजना एप्रोच में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़-शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2007

क्रमांक/क/वा./भू. अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 25-अ 82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	अटारी प. ह. नं. 103	9/2	0.469	वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर.	नंदन वन के विकास हेतु भूमि का अर्जन.
			6	0.380		
			8	0.441		
			7	0.749		
			11	0.214		
			10/1	0.148		
			10/2	0.147		
			9/1	0.486		
		योग	08	3.030		

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2007

क्रमांक/क/वा./भू. अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 26-अ 82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	हतबंद प. ह. नं. 103	136/2	0.065	वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर.	नंदन वन के विकास हेतु भूमि का अर्जन.
			136/3	0.065		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			134/1, 135/1	0.101		
			133/3	0.065		
			134/2, 135/2	0.053		
			134/3, 135/3	0.049		
			133/4	0.065		
		योग	07	0.463		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुंद, दिनांक 14 सितम्बर 2007

क्रमांक/126/अ. वि. अ./भू-अर्जन/11 अ/82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुन्द	सांकरा प. ह. नं. 46	7.72	कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, लो. नि. वि. रायपुर, (छ. ग.)	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 6 के कि. मी. 156/10 पर प्रस्तावित जोंक पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 23 जुलाई 2007

प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	बासिनझोरी प. ह. नं.- 54	4.939	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स./लोहारा, जिला-कबीरधाम.	सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 23 जुलाई 2007

प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	पीपरटोला प. ह. नं.- 50	1.851	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स./लोहारा, जिला-कबीरधाम.	सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 4 अगस्त 2007

रा. प्र. क्र. 12/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894.(क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	(1) सोनपुर	0.876	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर, सरगुजा (छ. ग.)	सोनपुर जलाशय के शाखा नहर, एप्रोच रोड एवं डुबान क्षेत्र में कगे हुई भूमि बाबत.
		(2) तिलसरा	0.620		
		योग	1.496		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 सितम्बर 2007

रा. प्र. क्र. 16 /अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	बरहोल	3.00	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर, जिला- सरगुजा (छ. ग.)	बरहोल जलाशय के डुबान, रिपल चैनल एवं नहर में छूटी हुई भूमि बाबत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 14 सितम्बर 2007

रा. प्र. क्र. 15 /अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	बरबसपुर	8.49	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर.	बरबसपुर जलाशय के डुबान, स्पिल चैनल एवं नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 30 अगस्त 2007

क्रमांक 108.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-कोरबा, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.182 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1117/3	
1118/4	0.182
1144/8	
योग	0.182

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बायीं तट नहर अंतर्गत बोल्डर पिचींग कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 14 सितम्बर 2007

क्रमांक/125/भू-अर्जन/अ.वि.अ./01-अ/82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-धनसुली, प. ह. नं. 131
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.76 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	835	0.36
	834	0.12
	836	0.41
	837	0.95
	843	0.38
	896	0.30
	895	0.08
	893	0.11
	894	0.03
	908	0.26
	892	0.02
	891	0.03
	887	0.20
	898	0.05
	899	0.19
	910	0.16
	909	0.11
योग	17	3.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- धनसुली जलाशय के डूबान क्षेत्र के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 4 अगस्त 2007

क्रमांक 12 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सोनपुर, प. ह. नं. 64
  तिलसरा, प. ह. नं. 64
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.876 हेक्टेयर
  0.62 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
ग्राम-सोनपुर, प. ह. नं. 64	
1904	0.02

(1)	(2)
1026	0.03
1908	0.02
1906	0.016
1942	0.59
1909	0.02
1801	0.01
1815	0.06
1816	0.11
योग 9	0.876

ग्राम-तिलसरा, प. ह. नं. 64

712	0.61
276/1	0.01
योग 2	0.62

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोनपुर जलाशय के शाखा नहर, एप्रोच रोड एवं छूटी हुई भूमि हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 सितम्बर 2007

क्रमांक 16 अ/82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बरहोल, प. ह. नं. 61
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.00 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
906/9	0.08
912/1	0.09
915	0.04
916	0.03
911	0.25
412/2	0.03
417	0.21
418/2	0.15
909	0.09
913/1	0.15
914	0.01
918	0.08
910/1	0.12
418/1	0.04
880	0.05
885/1	0.08
436	0.03
437	0.05
875	0.02
452/3	0.10
422	0.09
423/1	0.06
450/1	0.02
423/4	0.03
435	0.46
423/2	0.12
412/1	0.06
453	0.07
433	0.30
471/2	0.08
497	0.01
योग 31	3.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरहोल जलाशय के डुबान, स्पिल चैनल एवं नहर में छूटी हुई भूमि के निर्माण बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 14 सितम्बर 2007

क्रमांक 15 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बरबसपुर, प. ह. नं. 72
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.49 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1992	1.23
1991	0.58
1990	0.69
1993	0.28
2013	0.14
1994	0.34
2008	0.36
2012	2.00
2011	0.46
2007/2	0.36
258	1.55
247	0.08
252	0.02
256	0.01
265	0.01
246/2	0.07
253	0.01
248	0.04
257	0.18
243	0.01
249	0.07
योग 21	8.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरबसपुर जलाशय के डुबान, स्पिल चैनल एवं नहर निर्माण हेतु

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

रायगढ़, दिनांक 26 सितम्बर 2007

क्रमांक/1219/भू. अ./स. अ. भू. अ.-2/हल्का पुनर्गठन/2007.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एस. आर. ठाकुर, अति. कलेक्टर, जिला रायगढ़ एतद्द्वारा तहसील रायगढ़ के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न पूची में दर्शाये अनुसार करता हूं. शेष पटवारी हल्का यथावत् रहेगा.

सूची

क्र.	तहसील का नाम	राजस्व निरी. मण्डल का नाम	प्रस्तावित पटवारी हल्का का नाम	पटवारी हल्के में शामिल राजस्व ग्रामों का नाम	अन्य विवरण ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रायगढ़	रायगढ़ 1	13. बोईरदादर	बोईरदादर	बोईरदादर
2.	-	-	-	विजयपुर	विजयपुर
3.	-	-	-	गोवर्धनपुर	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	रायगढ़	रायगढ़ 1	14. जगतपुर	जगतपुर	शहरी ग्राम
5.	–	–	–	बैकुण्ठपुर	–
6.	–	–	–	रामपुर बड़े	–
7.	–	–	15. बेलादुला	बाजीनपाली	शहरी ग्राम
8.	–	–	–	अतरमुडा छोटे	–
9.	–	–	–	कौहाकुण्डा	–
10.	–	–	–	बेलादुला	–
11.	–	–	16. पण्डरीपानी	पण्डरीपानी	पण्डरीपानी
12.	–	–	–	अतरमुडा बड़े	–
13.	–	–	–	बेन्दरा चुंवा	–
14.	–	–	–	जुर्डा	जुर्डा
15.	–	–	17. जोरापाली	जोरापाली उर्फ कलारमुड़ा	जेरापाली
16.	–	–	–	कोसमनारा	–
17.	–	–	–	कलमी	कलमी
18.	–	–	18. भगवानपुर	भगवानपुर	भगवानपुर
19.	–	–	–	कृष्णापुर	–
20.	–	–	–	गोरका	गोरका
21.	–	–	19. उरदना	उरदना	उरदना
22.	–	–	–	लाखा	लाखा
23.	–	–	–	चिराईपानी	–
24.	–	–	20. खैरपुर	खैरपुर	खैरपुर
25.	–	–	–	टिपाखोल	–
26.	–	–	–	चिराईपानी	चिराईपानी
27.	–	–	21. पतरापाली	पतरापाली	पतरापाली
28.	–	–	–	सरईपाली	सरईपाली
29.	–	–	–	बरमुडा	–
30.	–	–	22. गेरवानी	गेरवानी	गेरवानी
31.	–	–	–	शिवपुरी	–
32.	–	–	–	देलारी	देलारी
33.	–	–	–	पाली	–
34.	–	–	23. भेलवाटिकरा	भेलवाटिकरा	भेलवाटिकरा
35.	–	–	–	दनोट (पू.)	–
36.	–	–	–	बरलिया	बरलिया
37.	–	–	–	आमापाल	आमापाल
38.	–	–	–	लामीदरहा	–
39.	–	–	24. रेगड़ा	रेगड़ा	रेगड़ा
40.	–	–	–	सम्बलपुरी	सम्बलपुरी
41.	–	–	–	बादपाली	–

योग　　12 प्रस्तावित नवीन हल्का

रायगढ़, दिनांक 26 सितम्बर 2007

क्रमांक/1219/भू. अ./स. अ. भू. अ.-2/हल्का पुनर्गठन/2007.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एस. आर. ठाकुर, अति. कलेक्टर, जिला रायगढ़ एतद्द्वारा तहसील खरसिया के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं. शेष पंटवारी हल्का यथावत् रहेगा.

सूची

क्र.	तहसील का नाम	राजस्व निरी. मण्डल का नाम	प्रस्तावित पटवारी हल्का का नाम	पटवारी हल्के में शामिल राजस्व ग्रामों का नाम	अन्य विवरण ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	खरसिया	खरसिया	14. बिंजकोट	बिंजकोट	बिंजकोट
2.	–	–	–	जबलपुर	जबलपुर
3.	–	–	–	झिटीपाली	–
4.	–	–	–	रसियामुडा	–
5.	–	–	–	भगोराडीह	–
6.	–	–	15. नहरपाली	नहरपाली	नहरपाली
7.	–	–	–	सिंघनपुर	–
8.	–	–	–	दर्रामुडा	दर्रामुडा
9.	–	–	–	गिडोला	–
10.	–	–	16. कुरूभाठा	बड़े जामपाली	बड़े जामपाली
11.	–	–	–	कुरूभाठा	–
12.	–	–	–	रक्शापाली	रक्शापाली
13.	–	–	–	सलिहाभाठा	–
14.	–	–	17. बरभौना	बरभौना	बरभौना
15.	–	–	–	तेन्दुमुडी	–
16.	–	–	–	कुकरीचोली	–
17.	–	–	–	छोटे जामपाली	–
18.	–	–	–	गुरदा	गुरदा
19.	–	–	–	नौरंगपुर (कर्रानारा)	–
20.	–	–	18. नावापारा (पूर्व)	किरीतमाल	किरीतमाल
21.	–	–	–	नावापारा (पूर्व)	नावापारा (पूर्व)
22.	–	–	–	जैमुड़ा	–

कुल 5 नये पटवारी हल्का

रायगढ़, दिनांक 26 सितम्बर 2007

क्रमांक/1219/भू. अ./स. अ. भू. अ.-2/हल्का पुनर्गठन/2007.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एस. आर. ठाकुर, अति. कलेक्टर, जिला रायगढ़ एतद्द्वारा तहसील सारंगढ़ के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में

दर्शाये अनुसार करता हूं. शेष पटवारी हल्का यथावत् रहेगा.

सूची

क्र.	तहसील का नाम	राजस्व निरी. मण्डल का नाम	प्रस्तावित पटवारी हल्का का नाम	पटवारी हल्के में शामिल राजस्व ग्रामों का नाम	अन्य विवरण ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सारगंढ़	हरदी	8. हरदी	हरदी	हरदी
2.	–	–	–	नंदनपुर (विरान)	–
3.	–	–	–	भगड़ा (विरान)	–
4.	–	–	–	महकमपुर	–
5.	–	–	–	जिल्दी	जिल्दी
6.	–	–	–	मौहापाली	–
7.	–	–	–	दर्राभाठा	–
8.	–	–	9. हिर्री	हिर्री	हिर्री
9.	–	–	–	सुवाताल	–
10.	–	–	–	कौहाताल	कौहाताल
11.	–	–	–	खुड्डूभाठा	–
12.	–	–	–	बर्गाबिडार (वि.)	–
13.	–	–	10. मुड़ियाडीह	मुड़ियाडीह	मुड़ियाडीह
14.	–	–	–	डोंगिया	–
15.	–	–	–	नंदेली	–
16.	–	–	–	खर्री बड़े	खर्री बड़े
17.	–	–	–	परसाडीह	–
18.	–	–	11. ग्वालिनडीह	ग्वालिनडीह	ग्वालिनडीह
19.	–	–	–	बरतुंगा	–
20.	–	–	–	पिण्डरी (बा. पा.)	पिण्डरी
21.	–	–	–	पिण्डरी दुखूपाल	–
22.	–	–	15. सिंगारपुर	सिंगारपुर	सिंगारपुर
23.	–	–	–	जोगीडीपा	–
24.	–	–	–	खरवानी बड़े	खरवानी बड़े
25.	सारंगढ़	हरदी	16. फरसवानी	फरसवानी	फरसवानी
26.	–	–	–	लोहारीनडीपा	–
27.	–	–	–	खेरपाली	–
28.	–	–	–	धोटुला बड़े	धोटुला बड़े
29.	–	–	–	सराईपाली	–
30.	–	–	–	बिछलवा	–
31.	–	–	–	झारमुड़ा	–
32.	–	–	17. अमझर	अमझर	अमझर
33.	–	–	–	गातापीढ़ा	–
34.	–	–	–	मकरी	–
35.	–	–	–	भीमसेनडीह	–
36.	–	–	–	अमलीडीपा	अमलीडीपा
37.	–	–	–	सोनाडुला	–
38.	–	–	–	बेहराचुवां	–
39.	–	–	–	भदरीउड़ान	–
40.	–	–	–	कवरबुडा	–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
41.	सारंगढ़	हरदी	18. मल्दा (ब)	मल्दा (ब)	मल्दा (ब)
42.	–	–	–	देवसर	–
43.	–	–	–	बुन्देली	बुन्देली
44.	–	–	–	बांधापाली	–
45.	–	–	–	बरगांव (विरा.)	–
46.	–	–	–	बरपाली (वि.)	–
47.	–	सारंगढ़	34. सहसपुर	सहसपुर	सहसपुर
48.	–	–	–	कंवलाझर	–
49.	–	–	–	विशालपुर	–
50.	–	–	–	चंवरपुर	चंवरपुर
51.	–	–	–	बरदरहा	–
52.	–	–	–	भवरपुर	–
53.	–	–	–	विजयपुर	–
54.	–	–	35. दानसरा	दानसरा	दानसरा
55.	–	–	–	अमेठी	अमेठी
56.	–	–	–	बेलटिकरी	–
57.	–	–	–	झारपाली	–
58.	–	–	–	उमेदपुर	–
59.	–	–	36. माधोपाली	माधोपाली चिखली	माधोपाली
60.	–	–	–	मौहाढोढ़ा	मौहाढोढ़ा
61.	–	–	–	बरभांठा	–
62.	–	–	37. बासनबहरा	बासनबहरा	बासनबहरा
63.	–	–	–	झारपडीह	–
64.	–	–	–	मुड़पार छोटे	मुड़पार छोटे
65.	–	–	–	साराडीह	–
66.	–	–	38. गोड़ा	गोड़ा	गोड़ा
67.	–	–	–	बधनपुर	–
68.	–	–	–	टांडापाली (वि.)	–
69.	–	–	–	बोइरडीह	बोइरडीह
70.	–	–	–	मानिकपुर	–
71.	–	सरिया	41. भीखमपुर	भीखमपुर	भीखमपुर
72.	–	–	–	बुदबुदा	–
73.	–	–	–	पिहरा	पिहरा
74.	–	–	–	बिजेपुर	–
75.	–	–	–	चिन्तामणीपाठ (विरान)	–
76.	–	–	42. पंचधार	पंचधार	पंचधार
77.	–	–	–	लिसी	लिसी
78.	–	–	–	नवापारा (छोटे)	–
79.	–	–	–	बिजेपुर-गिरधारीपाठ	–
80.	–	–	–	चंदागढ़ (वि.)	–
81.	–	–	43. सरिया	सरिया	सरिया
82.	–	–	–	नन्दीगांव	नन्दीगांव
83.	–	–	–	परसरामपुर	–
84.	–	–	44. भठली	भठली	भठली
85.	–	–	–	राडीडीह	राडीडीह
86.	–	–	–	सुरसी	–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
87.	सारंगढ़	सरिया	44. भठली	कोर्रा	–
88	–	–	–	सूरजगढ़	–
			योग 17 नवीन हल्का		

रायगढ़, दिनांक 26 सितम्बर 2007

क्रमांक/1219/भू. अ./स. अ. भू. अ.-2/हल्का पुनर्गठन/2007.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एस. आर. ठाकुर, अति. कलेक्टर, जिला रायगढ़ एतद्द्वारा तहसील घरघोड़ा के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं. शेष पटवारी हल्का यथावत् रहेगा.

सूची

क्र.	तहसील का नाम	राजस्व निरी. मण्डल का नाम	प्रस्तावित पटवारी हल्का का नाम	पटवारी हल्के में शामिल राजस्व ग्रामों का नाम	अन्य विवरण ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	घरघोड़ा	घरघोड़ा	6. नवापारा	नवापारा	नवापारा
2.	–	–	–	टेण्डा	टेण्डा
3.	–	–	–	डंगनीनारा	–
4.	–	–	–	भेंगारी	भेंगारी
5.	–	–	–	खोखरोआमा	–
6.	–	–	–	चारमार	–
7.	–	–	7. डेहरीडीह	डेहरीडीह	डेंहरीडीह
8.	–	–	–	बिलासखार	–
9.	–	–	–	पाकादरहा	–
10.	–	–	–	बगचबा	बगचबा
11.	–	–	–	पानीखेत	–
12.	–	तमनार	16. उरबा	उरबा	उरबा
13.	–	–	–	पेलमा	पेलमा
14.	–	–	–	खर्रा	–
15.	–	–	17. हिनझर	हिनझर	हिनझर
16.	–	–	–	सेमीजोर	–
17.	–	–	–	छिरवानी	–
18.	–	–	–	जरहीडीह	–
19.	–	–	–	लालपुर	लालपुर
20.	–	–	–	मुडवाडुमर	–
21.	–	–	–	सक्ता	–
22.	–	–	–	बंझीखोल	–
23.	–	–	18. मिलूपारा	मिलूपारा	मिलूपारा
24.	–	–	–	कोडकेल	कोडकेल
25.	–	–	–	बालजोर	–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26.	घरघोड़ा	तमनार	19. खम्हरिया	खम्हरिया	खम्हरिया
27.	–	–	–	करवाही	–
28.	–	–	–	गारे	गारे
29.	–	–	–	लमदरहा	–

योग 6 प्रस्तावित नवीन हल्का

रायगढ़, दिनांक 26 सितम्बर 2007

क्रमांक/1219/भू. अ./स. अ. भू. अ.-2/हल्का पुनर्गठन/2007.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एस. आर. ठाकुर, अति. कलेक्टर, जिला रायगढ़ एतद्द्वारा तहसील लैलूंगा के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं. शेष पटवारी हल्का यथावत् रहेगा.

सूची

क्र.	तहसील का नाम	राजस्व निरी. मण्डल का नाम	प्रस्तावित पटवारी हल्का का नाम	पटवारी हल्के में शामिल राजस्व ग्रामों का नाम	अन्य विवरण ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	लैलूंगा	लैलूंगा	12. सुवरा	सुवरा	सुवरा
2.	–	–	–	कोडकेल	कोडकेल
3.	–	–	–	पिपराही	–
4.	–	–	13. खार	खार	खार
5.	–	–	–	गोढ़ी	–
6.	–	–	–	भेडीमुडा (ब)	भेडीमुडा (ब)
7.	–	–	–	सारसमाल	–
8.	–	–	14. गेरूपानी	गेरूपानी	गेरूपानी
9.	–	–	–	केकराझरिया	–
10.	–	–	–	लमडांड़	लमडांड़
11.	–	–	–	कहरचुंवा	–
12.	–	–	16. लारीपानी	लारीपानी	लारीपानी
13.	–	–	–	सारगपाली	–
14.	–	–	–	फुलीकुन्डा	फुलीकुन्डा
15.	–	–	–	फुटहामुड़ा	–
16.	–	–	17. दियागढ़	दियागढ़	दियागढ़
17.	–	–	–	चिंगारी	–
18.	–	–	–	केनापारा	–
19.	–	–	–	गंजपुर	गंजपुर
20.	–	–	–	बरटांगर	–
21.	–	–	–	मडियाकछार	–
22.	–	–	18. भकुर्रा	भकुर्रा	भकुर्रा
23.	–	–	–	मुसकटी	–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24.	लैलूंगा	लैलूंगा	18. भकुर्रा	गहिरा	–
25.	–	–	–	गुनू	गुनू
26.	–	–	19. केशला	केशला	केशला
27.	–	–	–	खैरबहार	–
28.	–	–	–	मेंढरमाल	–
29.	–	–	–	टटकेला	टटकेला
30.	–	–	–	नहरकेला	–
		योग	7 प्रस्तावित नवीन हल्का		

रायगढ़, दिनांक 26 सितम्बर 2007

क्रमांक/1219/भू. अ./स. अ. भू. अ.-2/हल्का पुनर्गठन/2007.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एस. आर. ठाकुर, अति. कलेक्टर, जिला रायगढ़ एतद्द्वारा तहसील धरमजयगढ़ के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं. शेष पटवारी हल्का यथावत् रहेगा.

सूची

क्र.	तहसील का नाम	राजस्व निरी. मण्डल का नाम	प्रस्तावित पटवारी हल्का का नाम	पटवारी हल्के में शामिल राजस्व ग्रामों का नाम	अन्य विवरण ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	धरमजयगढ़	कापू	1. कूमा	कूमा	कूमा
2.	–	–	–	इंचपारा	–
3.	–	–	–	पोरमेर	पोरमेर
4.	–	–	–	कंचीरा	–
5.	–	–	–	डंगभौना	–
6.	–	–	2. क्रिंधा	क्रिंधा	क्रिंधा
7.	–	–	–	जलडेगा	–
8.	–	–	–	रूवाफूल	रूवाफूल
9.	–	–	–	बताती	–
10.	–	–	3. चाल्हा	चाल्हा	चाल्हा
11.	–	–	–	थोचल उर्फ कमो सिनडांड	कमो सिन डांड
12.	–	–	–	रामपुर	–
13.	–	–	14. कपियाभौना	कपियाभौना	कपियाभौना
14.	–	–	–	डूमरनारा	–
15.	–	–	–	रायमेर	रायमेर
16.	–	–	–	पचपेड़ी (वि. ग्राम)	–
17.	–	–	15. किरिया	किरिया	किरिया
18.	–	–	–	गनपतपुर	गनपतपुर
19.	–	–	16. रैरूमाखुर्द	रैरूमाखुर्द	रैरूमाखुर्द
20.	–	–	–	चिड़ोडीह	चिड़ोडीह
21.	–	–	–	भालूपखना	–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	धरमजयगढ़	कापू	17. साजापाली	साजापाली	साजापाली
23.	–	–	–	धरमपुर (व. ग्रा.)	–
24.	–	–	–	आमानारा (व. ग्रा.)	–
				चुलहाखोल	–
25.	–	–	–	सिसरिंगा	सिसरिंगा
26.	–	–	–	गणेशपुर (व. ग्रा.)	–
27.	–	–	20. कटाईपाली डी	कटाईपाली डी	कटाईपाली डी
28.	–	–	–	मैनीपुर	–
29.	–	–	–	शकरलिया	–
30.	–	–	–	सोखामुडा	सोखामुडा
31.	–	–	21. राजकोट	राजकोट	राजकोट
32.	–	–	–	मदनपुर	–
33.	–	–	–	डिडवानारा	–
34.	–	–	–	सुपकोना	–
35.	–	–	–	अमलझरिया	–
36.	–	–	–	ढोढागांव	ढोढागांव
37.	–	–	22. जमाबीरा	जमाबीरा	जमाबीरा
38.	–	–	–	सोहनपुर	सोहनपुर
39.	–	–	–	सजवारी	–
40.	–	–	–	तेजपुर	–
		कुल	10 नवीन हल्का		

एस. आर. ठाकुर,
अति. कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

JUDICIAL OFFICER'S TRAINING INSTITUTE,

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 11th September 2007

No. 6417/J.O.T.I/2007/II-15-66/2001 (Pt.II).—The following newly appointed Civil Judges Class-II as specified in column No. (2) presently posted at the places specified in column No. (3) of the table below are directed to report in the Judicial Officers' Training Institute (J.O.T.I.), High Court of Chhattisgarh, High Court Campus, Bilaspur on 16-09-2007 in the afternoon 3.00 P.M. to 5.00 P. M. for undergoing the IIIrd Part of Institutional Training Programme to be held from 17th September, 2007 to 29th September, 2007

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Civil Judge Class-II (2)	Posted as & at (3)
1.	Smt. Shradha Singh	IV Civil Judge Class-II, Bilaspur.

(1)	(2)	(3)
2.	Shri Kiran Kumar Jangade	I Civil Judge Class-II, Bilaspur
3.	Shri Yashpal Singh Tandon	IX Civil Judge Class-II, Durg
4.	Shri Mukesh Kumar Patre	VIII Civil Judge Class-II, Raipur
5.	Shri Shyam Sunder Kashyap	II Civil Judge Class-II, Bilaspur
6.	Ku. Sarita Das	IV Civil Judge Class-II, Raigarh
7.	Ku. Yogita Gadpayle	VI Civil Judge Class-II, Durg
8.	Shri Pramod Singh Paraste	II Civil Judge Class-II, Jagdalpur
9.	Ku. Sanjaya Ratrey	IX Civil Judge Class-II, Bilaspur
10.	Shri Rakesh Kumar Som	Civil Judge Class-II, Kanker
11.	Shri Jitendra Kumar Thakur	Civil Judge Class-II, Baikunthpur
12.	Shri Kamlesh Kumar Jurri	X Civil Judge Class-II, Raipur
13.	Shri Jagdish Ram	I Civil Judge Class-II, Rajnandgaon
14.	Shri Anil Kumar Bara	I Civil Judge Class-II, Dantewara
15.	Ku. Mohani Kanwar	I Civil Judge Class-II, Raigarh
16.	Ku. Dwarika Tidke	VIII Civil Judge Class-II, Durg

The abovementioned Trainee Judges are also directed to observe the dress code with tie instead of band prescribed by the High Court during the training and to bring with them the following books :—

A. Code of Civil Procedure
B. Code of Criminal Procedure
C. Evidence Act
D. Limitation Act
E. Indian Penal Code
F. Rules & Orders-Civil & Criminal
G. Stamp & Court Fees Act
H. Arms Act
I. C. G. Excise Act
J. Legal Services Authority Act, 1987 (with C. G. Rules)

By order of the Hon' ble Acting Chief Justice,
G. MINHAJUDDIN, Director.

Bilaspur, the 14th September 2007

No. 420/Confdl./2007/II-2-1/2007.—Shri Alok Jha, District & Sessions Judge, Rajnandgaon, in addition to his own work, shall also be the Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act, Rajnandgaon with immediate effect until further orders.

Bilaspur, the 20th September 2007

No. 6644/L. G./2007/II-2-18/2006.—Shri Ganpat Rao, Additional Registrar (Administration), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 13 days from 24-09-2007 to 06-10-2007 and permission to prefix holiday of 23-09-2007 (Sunday) and Suffix holiday of 07-10-2007 (Sunday) along with the permission to leave headquarters.

On return from leave Shri Ganpat Rao, Additional Registrar (Administration), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is posted on the same post on which he was posted prior to his proceeding on the aforementioned leave.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Ganpat Rao, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 237 days of earned leave are remaining in his leave account.

By order of Hon'ble the Acting Chief Justice,
HEERA SINGH MARKAM, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

क्रमांक 120/दो-2-26/2001.—श्री राधेश्याम शर्मा, तत्कालीन विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), जगदलपुर, वर्तमान रजिस्ट्रार (सतर्कता), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 23-04-2007 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-1999 से 31-10-2001 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 31-10-2001 से प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

क्रमांक 121/दो-2-26/2001.—श्री राधेश्याम शर्मा, तत्कालीन विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), जगदलपुर, वर्तमान रजिस्ट्रार (सतर्कता), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 23-04-2007 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2001 से 31-10-2003 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 31-10-2003 से प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2007

क्रमांक 122/दो-2-26/2001.—श्री राधेश्याम शर्मा, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर, वर्तमान रजिस्ट्रार (सतर्कता), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 23-04-2007 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2003 से 31-10-2005 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 31-10-2005 से प्रदान की जाती है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.